न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए एस.

प्रकरण संख्या 100/2018 **दायरा दिनांक :– 08.06.2018**

1. गोरधनराम पुत्र श्री थानाराम जाति नायक निवासी फरीदसर तहसील सूरतगढ़।
2. नीमा पुत्री थानाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक साकिन दौलतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्ञानी देवी पत्नी थानाराम जाति नायक साकिन फरीदसर तहसील सूरतगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. थानाराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी फरीदसर (फौत) नाम तर्क दिनांक 16.12.2019
2. विष्णुदत्त पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़।
3. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा जाखडावाली तहसील पीलीबगां।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
5. उप–पजींयक सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर टी ए

:: निर्णय ::

दिनांक :– 04/02/2020

उपस्थित :–1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– प्रार्थीगण
2 श्री लेखराज देरासरी अधिवक्ता अप्रार्थी न. 2
3 श्री श्याम चुघ अधिवक्ता अप्रार्थी न. 3
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के सक्षेंप तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने घोषाणात्मक दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी न. 1 का पेशा हमेशा से ही खेती रहा है तथा पुराने गांव फरीदसर में ही कई पीढीयों से निवास कर रहे है व प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 के सयुक्त परिवार में रहते हुए, परिवार के मुखिया अप्रार्थी न. 1 के नाम से उपनिवेशन के दौरान रोही फरीदसर के खसरा न. 7 नऐ मिन 7/2 मे 15.00 बीघा व खसरा न. 46/6 में 35.00 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा अस्थायी आवंटन हुआ व राज्य सरकार की पुख्ता आवंटन योजना के दौरान यह रकबा मुखिया के नाम से पुरे परिवार को ही पुख्ता आवंटन हो गया। इसलिए उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी न. 1 के नाम से जारी होने पर राजस्व रिकार्ड मेंखातेदारी दर्ज हुआ। जिसकी जमाबन्दी सलंग्न है। इस रकबा को प्रार्थीगण ने सयुंक्त परिवार में रहते हुए बेतोड मेहनत कर काश्त योग्य बनाया है व टयूववैल आदि लगाया है तथा इसी टयूबवैल से सिचांई की जाकर फसली फायदा लिया जाकर इसी उपज से प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 का पालन पोषण हो रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 का परिवार है हिन्दू विधी से गर्वन होता है व हिन्दू रिति रिवाजों के अनुसार पिता के पैतृक रकबा व पैतृक आय से व सयुंक्त परिवार को आवंटित रकबा से उसके पुत्र/पुत्री अपने पिता से उसके जीवनकाल में हक घोषित करवा सकता है व खाता बटवांरा करवा सकता है तथा जब पिता

लगातार पेज 2 पर

पुत्र के बीच घोषणात्मक व खाता विभाजन का दावा हो तो हिन्दू पत्नी अपने पुत्रों के समान हिस्सा प्राप्त कर सकती है। प्रार्थीगण अप्रार्थी न. 1 के कुल तीन वारीस है। इस प्रकार जैर प्रकरण 50 बीघा रकबा में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है, हिस्सा घोषित करवाने का दावा जैरकार हैं।

अप्रार्थी न. 1 ने इस रकबा पर एस बी आई शाखा सूरतगढ़ से के.सी.सी ऋण ले रखा है। इस के.सी.सी. राशी को बढाने के लिए अप्रार्थी न. 1 अप्रार्थी न. 2 के साथ रहता था तथा अप्रार्थी न. 2 ने के.सी.सी. बढाने के आड में उक्त तमाम रकबा का बैयनामा दिनांक 10.07.2017 को अपने नाम से पेपरो में करवा लिया है। जिसका इंतकाल भी अप्रार्थी न. 2 के नाम से हो गया है जबकि कब्जा आज तक सभी प्रार्थीगण के पास है। अप्रार्थी न. 1 को प्रार्थीगण के हिस्से के रकबा का बैयनामा करवाने का कोई हक नही था। इसलिए बैयनामा शुरू से शुन्य होने से प्रार्थी के हिस्सो पर बेअसर है। अप्रार्थी न. 2 कि पत्नी इस पचांयत कि सरपंच है तथा सरपंच के प्रभाव से अप्रार्थी न. 2 ने तथाकथित तरीके से बैयनामा अपने नाम से करवा लिया है। अब दिनांक 15.15.2018 को अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को इस रकबा कि रजिस्ट्री होने का बताया तथा कब्जा करने कि धमकी दी तो प्रार्थीगण को दावा व यह प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। जैरप्रकरण तमाम रकबा सयुंक्त परिवार का रकबा है। अप्रार्थी न. 1 को जैरप्रकरण रकबा को रहन बैचान का हक नही था। बैयनामा तथाकथित तरिके से अपने नाम से करवाकर कागजात में उक्त रकबा अप्रार्थी न. 3 के पास रहन रख दिया है व अब अप्रार्थी न. 2 भी इस रकबा को आगे बैचान करना चाहता है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान हो जायेगा। जिसकी भरपाई रूप्ये पैसों से पूरी नही हो सकती। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त रकबा जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी न. 2 के नाम है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। इसलिए दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण किसीं तरह कि दखलअदाजी न तो स्वयं करे व ना किसी अन्य से करावें तथा रिकार्ड व मौका कि यथा स्थिती बनाए रखे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता कि एक तरफा बहस सुनकर दिनांक 08.06.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई व अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड व साधारण डाक से तलब किया गया अप्रार्थी न. 1 व 5 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से इनके खिलाफ 30.08.2018 को एक तरफा कार्यवाही कि गई अप्रार्थी न. 2 कि ओर से श्री लेखराज देरासरी हाजिर होकर जवाब पेश करके प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का इन्कार करते हुये निवेदन किया कि यह रकबा अप्रार्थी न. 1 का स्व अर्जीत रकबा है तथा इस रकबा का पूर्ण प्रतिफल देकर जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी न. 2 ने खरीदा है तथा प्रार्थी न. 1 से इस रकबा के बैचान कि सहमती भी ली गई है तथा प्रार्थी न. 1 विरूद्व विमन्द का नियम (Rule of Esstopl) लागू होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। अप्रार्थी न. 3 का जवाब 29.10.2018 को बंद किया गया, दौरान सुनवाई अप्रार्थी न. 1 का स्वर्गवास दिनांक 18.08.2019 को हो गया तथा अप्रार्थी न. 1 के वारिस प्रार्थीगण ही है। इसलिए अप्रार्थी न. 1 के फौत हो जाने से उसका नाम दिनांक 16.12.2019 को तर्क किया गया ।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ दावा के निर्णय तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा स्थायी करने का निवेदन किया तथा कानूनी नजीर आर.आर.टी 2009 पेज न. 141, आर.आर.डी. 2002 पेज न. 744, आर.एल.डब्ल्यू 2005(2) पेज न. 222, आर.एल.डब्ल्यू 2005(2) पेज न. 219 पेश किया।अप्रार्थी अधिवक्ता ने पूर्व में जारी स्थगन निरस्त करने का निवेदन किया।

लगातार पेज 3 पर

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम से पहले अस्थाई आवंटन हुआ तथा वरवक्त पुख्ता आवंटन उक्त रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम दिनांक 02.06. 2007 को पुख्ता आवंटन हुआ व रकबा डी कॉलोनी हो जाने से अप्रार्थी न. 1 के नाम खातेदारी अधिकार जारी हुये तथा बाद में यह रकबा रजिस्ट्रर्ड बैयनामा से अप्रार्थी न. 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड हुआ है। इससे यह साबित है कि यह आवंटन अप्रार्थी न. 1 कि स्वंयम कि योग्यता के आधार पर ना होकर प्रार्थीगण के पुरे परिवार को आवंटन हुआ है। कानूनी नजीर आर आर टी (1) पेज न. 209 के अनुसार भूमि हिनता के आधार पर आवंटीत कि गई भूमि आवटी व्यक्ति कि निजी अथवा स्व अर्जित नही होकर परिवार की साझा सम्पति होती है। भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना सरकारों के सामाजिक सरोकार का हिस्सा है। जिसका उदेंश्य भूमिहीन परिवार को कृषि भूमि के रूप में आर्थिक ससाधनं उपलब्ध कराना है ताकि वह परिवार अपने आजीविका चला सके अगर ऐसा भूमिहीन व्यक्ति को आवंटीत भूमि को निजी एवंम स्वअर्जित भूमि मानकर हस्तान्तरण करने की छूट दे दी तो भूमिहीन परिवार को भूमि आवंटन का प्रयोजन ही विफल हो जावेगा। जैरप्ररकण आवंटन भी पुरे परिवार शामिल मानते हुये जीवन यापन के लिए किया जाता है। यह आवंटन केवल अप्रार्थी न. 1 कि स्वयं योग्यता के आधार पर नही है तथा इस रकबा में प्रार्थीगण के हकों कि घोषणा का दावा अभी जैरकार है। दावा में हक मिलेगा या नहीं यह तो दावा के अन्तिम निर्णय में तय होगा परन्तु दावा के निर्णय से पूर्व ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण घुस गये या रकबा का आगे रहन बैचान हो गया तो रकबा ओर विवादित हो जावेगा तथा दावा के निर्णय से पूर्व ही प्रार्थीगण इस रकबा से बेदखल हो गये तो ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को होगा। प्रकरण में वर्णित रकबा का सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण कि बजाय प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2018 को दावा के निर्णय तक स्थाई किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2018 को स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो रोही फरीदसर कि जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता न0 93/99 के खसरा न. 7/2 कि 3.795 हैक व 46/6 कि 8.855 हैक रकबा जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी न. 2 के नाम दर्ज है व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है, को अप्रार्थी न. 2 रहन–बैचान ना करे व मौका कि यथास्थिती बनाये रखे। आदेश सरे इजलास आज दिनांक 04/02/2020 को सुनाया गया।

04-02-2020

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.20 11:13:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: